न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 90 / 2021

1 सरबती देवी पत्नी शकरूराम जाति जाट निवासी टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 सुरेश कुमार पुत्र गिरधारी।
2 पप्पुराम पुत्र गिरधारी।
3 शारदा पुत्री गिरधारी समस्त जाति जाट।
4 केशर देवी पत्नी भगवाना जाति मीणा।
5 हजारी पुत्र भगवाना जाति मीणा निवासीगण टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
6 संतरा देवी पुत्री भगवाना पत्नी रतनलाल जाति मीणा निवासी टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू हाल निवासी राणासर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
7 पंजाब नेशनल बैंक शाखा गुड़ागैड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
8 आई.डी.बी.आई. बैंक शाखा टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
9 नायब तहसीलदार उप तहसील गुढ़ागोड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
10 भूमिधारक जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955 अपील खिलाफ आदेश बअदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आर.टी.एक्ट उनवानी सरबती देवी बनाम सुरेश कुमार वगैरह मुकदमा नम्बर 31/2020 आदेश दिनांक 30.09.2021।

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्र सिंह बुडानियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 12-8-22

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 31/2020 में पारित निर्णय दिनांक 30.09.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट के द्वारा अदालत मातहत के यहां जमीन हाल खसरा नम्बर 845 रकबा 0.44 हैक्टेयर स्वयं के खातेदारी के खेत में कृषि कार्य के लिये आने जाने के लिये रास्ता विद्यमान नही होने से आत्यन्तिक आवश्यकता के लिये रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 के खेत खसरा नम्बर 850 के उतर में स्थित झुंझुनू से जयपुर जाने वाली सड़क से खसरा नम्बर 2237/850 रकबा 0.0395 गैर मुमकिन रास्ता के आगे से बिन्दु ए से बी व बी से सी रास्ता राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवेदन पत्र में रेस्पोडेंट संख्या 01 लगायत 3 व 7 लगायत 9 की गैर हाजिरी व रेस्पोडेंट संख्या 04 लगायत 6 के द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र व तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट पत्रावली में प्रस्तुत होने के बाद तहसीलदार उदयपुरवाटी की मौका जांच रिपोर्ट के आधार पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 845 में अन्य रास्ता भूमि खसरा नम्बर 864 में सी.सी. सड़क होने के आधार मानकर गलत रूप से अस्वीकार कर दिनांक 30.09.2021 को खारिज किया गया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा स्वयं के खसरा नम्बर 845 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 847 व 850 में से रास्ते की मांग की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन आदेश में खसरा नम्बर 845 हेतु खसरा नम्बर 864 से रास्ता मौजुद होना एवं सी.सी. सड़क बनी होना अंकित कर अपीलांट का आवेदन खारिज किया है जबकि आई.एल.आर. की मौका रिपोर्ट दिनांक 29.07.2021 मे खसरा नम्बर 864 का न तो नजरी नक्शा अंकित है, न ही खसरा नम्बर 864 से 845 के मध्य कटानी रास्ता होना एवं सी.सी. सड़क होना अंकित है। ऐसी स्थिति में बिना साक्ष्य के विचारण न्यायालय द्वारा सी. सी. सड़क होना अंकित कर अपीलांट का आवेदन खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। अपीलांट के पास वैकल्पिक कटानी रास्ता उपलब्ध हो ऐसा कोई साक्ष्य विचारण न्यायालय अथवा अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया है। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 864 में आबादी होना स्वीकार किया गया है। खसरा नम्बर 864 से अपीलांट आवागमन करता है यह तथ्य आई.एल.आर. की रिपोर्ट में अंकित है। फौजदारी कार्यवाही के दस्तावेज मानने के लिये राजस्व न्यायालय बाध्य नही है। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय ने अपीलांट का आवेदन पोषणीय नही मानने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 864 में आबादी होना स्वीकार किया गया है। खसरा नम्बर 864

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

से अपीलांट आवागमन करता है यह तथ्य आई.एल.आर. की रिपोर्ट में अंकित है। फौजदारी कार्यवाही के दस्तावेज मानने के लिये राजस्व न्यायालय बाध्य नही है। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय ने अपीलांट का आवेदन पोषणीय नही मानने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अत इसमे हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12-8-22 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर